न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 839 / 2023

अनवान : –

1. दयाल सिंह सिंधल पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. प्रेम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. गुलाब सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मोहन सिंह पुत्र बदरू जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 517 / 830 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.8910 है0 भूमि एवं खाता संख्या 518 / 531 के खसरा नं. 472 / 4 की 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बदरू के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों [illegible] है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 का उपरोक्त भूमि में कोई [illegible] है बाद हक त्याग रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम[illegible] खाता संख्या 517 / 8[illegible] के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.8910 है0 भूमि में से 2.277 है0 [illegible]मि पर वादी संख्या [illegible].277 है0 भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी संख्या 2 व 2.277 है0 भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है एवं उक्त खाता की शेष भूमि व खाता संख्या 518/531 के खसरा नं. 472/4 की 1.0120 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 517/830 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.8910 है0 भूमि एवं खाता संख्या 518/531 के खसरा नं. 472/4 की 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 517/830 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.8910 है0 भूमि में से 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को व 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को व 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता की शेष भूमि व भूकरका के खाता संख्या 518/531 के खसरा नं. 472/4 की 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 839/2023

अनवान : –

1. दयाल सिंह सिंधल पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. प्रेम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. गुलाब सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मोहन सिंह पुत्र बदरू जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सीता पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 839 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 517/830 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.8910 है0 भूमि में से 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को व 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को व 2.277 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता की शेष भूमि व भूकरका के खाता संख्या 518/531 के खसरा नं. 472/4 की 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested